हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359100

No. 1580/Exam/2019 Durg, Dated 08/11/2019

Notification

(In strict compliance of the UGC Letter D.O. No. F.12-1/2015 (CPP-II) 15th October, 2015)

"Notified that notwithstanding anything in any law in force, a student who for whatever reasons is not able to complete the academic programme within the normal period or the minimum duration prescribed for the said academic programme, may be allowed only for two years period beyond the normal period to clear the backlog (which includes the whole or a part of the examination or a paper or any number of papers) to be qualified for the degree."

Illustration :- Time span to pass examination = N+2 year for the completion of the academic programme.

(*Where 'N' stands for the normal or minimum duration prescribed for the completion of the academic programme*)

Proviso 1 :- Provided further that in exceptional circumstances, a further extension of one more year may be granted by the university as spelt out clearly by the relevant statutory body of the Hemchand Yadav University.

Proviso 2 :- Provided further that during the extended period the student shall be considered as a private/Ex-Regular candidate and he shall not be eligible for ranking if passes in the extended period.

Note :- **The period for said course will be counted from the first day of the academic term/session wherein the concerned student first time sought the admission in the respective academic programme. In any circumstances the course duration will not be more than N+3 years.**

Registrar
Hemchand Yadav University, Durg

Endt. No1581 /Exam/2019 Durg, Dated 08/11/2019

1. Copy to all the Principals/Heads/Director/In-charge of colleges, UTD or any other academic institution affiliated to this university with direction: निर्देश – "किसी भी ऐसे विद्यार्थी को किसी भी ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अथवा उसके किसी भी भाग में प्रवेश न दें जिस की परीक्षा के समय उसके द्वारा उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद दो वर्ष की अवधि परीक्षा के समय पूर्ण हो जायेगी अथवा ऐसे किसी भी विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन फार्म न तो स्वीकार करें एवं न ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें जिसकी संबंधित परीक्षा के आयोजन के समय उस परीक्षा के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद दो वर्ष की बैकलाग क्लीयर करने की अवधि भी समाप्त हो गई हो।"
2. Dean, Student Welfare, Hemchand Yadav Univesity, Durg.
3. Deputy Registrar/Assistant Registrar/O.S.D. Exam/Confidential Dept. Hemchand Yadav University, Durg.
4. The Seceretary to the vice Chancellor, Hemchand Yadav University, Durg for Hon'ble Vice Chancellor's kind information.
5. Dean, Student Welfare, Hemchand Yadav Univesity, Durg.
6. Office Copy.

Deputy Registrar
Hemchand Yadav University, Durg

संलग्नक – 1

स्पष्ट विशिष्ट परिस्थियां जिनमें विद्यार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्य दो वर्ष की बैकलॉग क्लीयर करने के लिए प्राप्य अवधि के समापन पश्चात् अपवाद–स्वरूप परिस्थितियों में एक अतिरिक्त वर्ष तक में बैकलॉग क्लीयर करने के लिए दिए जाने वाली परिस्थितियां:

(संदर्भ : विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 1580/परीक्षा/2019 दुर्ग दिनांक 08.11.2019 परन्तुक 1)

यदि विद्यार्थी द्वारा बैकलॉग में मिलने वाली परीक्षा में परीक्षा के लिए प्राप्त अंतिम अवसर के समय:
(दो वर्ष के बैकलॉग अवधि में प्राप्य अंतिम परीक्षा के अवसर से पूर्व अन्य परीक्षा के समय इन परिस्थितियों का निर्माण होता है तो इस प्रावधान के अंतर्गत एक वर्ष अतिरिक्त बढ़ाने का नियम लागू नहीं होगा।)

1. विद्यार्थी के सगे अथवा दत्तक संबंध से संबंधित माता, पिता, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू अथवा दामाद की परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व अथवा परीक्षा दरम्यान मृत्यु हो जाती है।
2. यदि विद्यार्थी स्वयं कैंसर, किडनी, मस्तिष्क, हृदयघात, हृदयरोग, अथवा लीवर सिरोशिश से पीडित है तथा परीक्षा प्रारंभ होने से एक माह पूर्व अथवा परीक्षा दरम्यान इन रोगो में से किसी एक अथवा एक से अधिक के इलाज के लिए शल्य क्रिया करवाता है।
3. यदि विद्यार्थी स्वयं गंभीर पक्षाघात से परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से दो माह पूर्व अथवा परीक्षा दरम्यान पीड़ित होता है तथा इस बीमारी के कारण लिखने में असक्षम है।
4. यदि विद्यार्थी स्वयं के परीक्षा प्रारंभ होने से 45 दिन पूर्व अथवा परीक्षा दरम्यान गंभीर दुर्घटना का शिकार होता है तथा वह उक्त दुर्घटना के कारण होने वाली चोट से परीक्षा देने में असक्षम है।
5. यदि विद्यार्थी की बैकलॉग अवधि की अंतिम परीक्षा प्राकृतिक प्रकोप, दैविक प्रकोप, आपातकाल अथवा विधिक घोषणा के कारण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निरस्त अथवा स्थगित कर दी गई है तथा एक्सटेंडेड (विस्तारित) अवधि में उस परीक्षा का पुनः आयोजन नहीं किया गया है।

नोट : 1 एक्सटेंडेड पीरियड की अवधि की समाप्ति के बाद अतिरिक्त महत्तम एक वर्ष की समय सीमा में एक परीक्षा के लिए एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। परन्तु विद्यार्थी को यदि दो सत्रों की परीक्षा देनी है तब ही एक वर्ष के विस्तारित समय का लाभ दिया जायेगा। परन्तु इन दोनों परीक्षाओं की स्थिति में दोनों परीक्षाओं का समापन विस्तारित एक वर्ष की अवधि में हो जाना अनिवार्य होगा।

2 उपरोक्त छूट प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र तथा बीमारी की स्थिति में बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण होने वाली असमर्थता का प्रमाणपत्र मय सभी मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, अन्य टेस्ट की रिपोर्ट, उपचार की पर्चियों एवं दवाइयों के बिल की प्रमाणित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। असमर्थता का प्रमाणपत्र संबंधित रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए तथा उस पर मेडिकल सुपरिन्टेंडेट/जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन अथवा मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद से नीचे का न हो ऐसे सरकारी चिकित्सक के काउंटर साइन होना चाहिए।

3 परीक्षा के स्थगन, निरस्तीकरण की स्थिति में विद्यार्थी को घोषणा/अधिघोषणा/अधिसूचना की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति जमा करवानी होगी।

4 जिस परीक्षा में विद्यार्थी उपरोक्त में से किसी एक अथवा एक से अधिक कारणों से परीक्षा नहीं दे पाया है उस परीक्षा की समय–सारणी की प्रमाणित प्रति भी विद्यार्थी को जमा करवानी होगी।

5 यदि विद्यार्थी उपरोक्त में से किन्हीं आधारों पर छूट लेना चाहता है तो दो वर्ष की एक्सटेंडेड अवधि की समाप्ति के पूर्व ही अपना आवेदन मय दस्तावेजों के अपने महाविद्यालय/यूटीडी अथवा संस्थान के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजना होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के बढ़ाये जाने के बाद ही वह नया प्रवेश ले पायेगा अथवा परीक्षा फार्म भर पायेगा।

दिनांक : 08.11.2019
स्थान :– दुर्ग

कुलसचिव

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. सन्धू
सचिव
Prof. Dr. Jaspal S. Sandhu
MBBS, MS (Ortho), DSM, FAIS, FASM, FAFSM, FFIMS, FAMS
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23239337, 23236288,
Fax : 011-23238858, email : jssandhu.ugc@nic.in

By Speed Post

D.O.No.F.12-1/2015(CPP-II) **15th October, 2015**

Dear Sir/Madam,

The University Grants Commission has formulated the **Guidelines on Determination of a Uniform Span Period within which a Student may be allowed to Qualify for a Degree** which are available on the UGC website www.ugc.ac.in. You are requested to kindly peruse the same for your esteemed University.

With regards,

Yours sincerely,

(Jaspal S. Sandhu)

The Vice-Chancellors of all the Universities

Copy to:

The Publication Officer, UGC, New Delhi for uploading on UGC website.

(Jaspal S. Sandhu)

UGC Guidelines on Determination of a Uniform Span Period Within which a Student may be allowed to Qualify for a Degree.

The Commission has observed that universities across the country adopt varying span period within which a student may be allowed to complete a programme to be qualified for a degree. In order to evolve a uniform policy, the Commission had constituted an Expert Committee to consider the issue of determining a uniform span period. On the basis of the recommendations made by the Committee, the Commission has formulated following guidelines for compliance of the universities:

1. Normally, the student is expected to complete his programme within the minimum period as laid down under the relevant Regulation of the university which should be in conformity with the UGC Regulations on the award of First Degree and Masters Degree and also in line with the notification, issued from time to time, on Specification of Degrees under Section 22 of UGC Act, 1956.

2. A student who for whatever reasons is not able to complete the programme within the normal period or the minimum duration prescribed for the programme, may be allowed two years period beyond the normal period to clear the backlog to be qualified for the degree. The general formula, therefore should be as follows:

   a) Time Span = N+2 years for the completion of programme.
   where N stands for the normal or minimum duration prescribed for completion of the programme.

   b) In exceptional circumstance a further extension of one more year may be granted. The exceptional circumstances be spelt out clearly by the relevant statutory body concerned of the university.

   c) During the extended period the student shall be considered as a private candidate and also not be eligible for ranking.

3. Ordinarily, no student should be given time beyond the extended period of two years. However, in exceptional circumstances and on the basis of the merits of each case university may allow a student one more year for completion of the programme.

4. These guidelines are subject to the Rules and Regulations of the statutory bodies and universities governing the grant of degrees.

******